



दिल्ली विश्वविद्यालय

UNIVERSITY OF DELHI

स्थापना शाखा-II (I)

ESTABLISHMENT BRANCH-II (I)

कमरा नं. 212

ROOM No. 212

स्थापना खण्ड

ESTABLISHMENT BLOCK

दिल्ली - ११० ००९

DELHI - 110 007

Tel. No. 27667725 Extn. 1168

Ref. No. Estab.II(i)/27/VC RF/2018/1193

Delhi, the 21st August, 2018

All Dean of Faculties
All Heads of the Departments,
Principals/In-charge Section,
University of Delhi,
Delhi.

Subject: Appeal for donation to Vice-Chancellor's Relief Fund

The recent unprecedented heavy rain and flash flood in the state of Kerala have taken away hundreds of lives and caused extensive damage to the property. More and more casualties have been reported from the affected area with each passing day. Every citizen therefore has a moral responsibility to come forward and extend their moral and financial support to the people of affected area.

To assist the nation to meet the above objective, it is hereby appealed to donate one day's salary (Basic+DA) or an amount of your choice as per enclosed proforma to the Vice-Chancellor's Relief Fund as a gesture of solidarity and support to the affected people.

The consent letter as per proforma is to be submitted to the respective office of the employees. In case of the University employees, the consent letter may be submitted to the Section Officer, Finance Branch-I/II (as the case may be) by the 10th of September, 2018 to enable the University to deduct the amount from their salaries payable in the next month.

I am to further intimate that, in terms of Section 80-G (2) (a) (iii-F) of the Income Tax Act 1961 (43 of 1961), persons making donation to the University of Delhi for the above purpose are entitled to claim 100 percent deduction of the donation made to this University, in computing their total taxable income. As such donations to the University of Delhi in the nature of contributions/donations to the Vice-Chancellor's relief Fund are also exempted to the extent of 100 percent under Section 80-G (2) (a) (iii-F) of the Income Tax Act 1961 (43 of 1961).

It is further requested that while computing the Income Tax of an individual such donations to the University of Delhi in the nature of Contributions to the relief fund may be accounted in the Form - 16 of the employees.

As far as colleges are concerned the deductions from the Teaching and Non-teaching staff is to be made from their salary and may be transferred online in favour of the Registrar, University of Delhi, mentioning Account No. 10851298468, SBI, Delhi University Branch, IFSC: SBIN001067 i.e. the Account for the said purpose, under intimation to the Assistant Registrar, Finance-II, University of Delhi.

Yours faithfully,


REGISTRAR

Encl: As above.

RL



दिल्ली विश्वविद्यालय UNIVERSITY OF DELHI

स्थापना शाखा- II (I)

ESTABLISHMENT BRANCH-II (I)

कमरा नं० 212

Room No. 212

स्थापना खण्ड

Establishment Block

दिल्ली - 110007

Delhi - 110007

Tel. No. 27667725 Extn. 1168

संदर्भ संख्या/स्था. शाखा-2(1)/149/2018/1193

दिनांक 21 अगस्त, 2018

सभी संकायों के अधिष्ठाता,
सभी विभागाध्यक्ष,
प्राचार्य/अनुभाग-प्रभारी,
दिल्ली विश्वविद्यालय,
दिल्ली-110007.

विषय: कुलपति आपदा राहत कोष में दान करने हेतु अपील

हाल ही केरल राज्य में हुई भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ ने सैकड़ों लोगों की जान ले ली है और संपत्ति को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाया है। हर गुजरते दिन के साथ, प्रभावित क्षेत्र से हताहत की अधिक से अधिक सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। इसलिए, प्रत्येक नागरिक की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वह आगे आए और प्रभावित क्षेत्र के हताहत व्यक्तियों को अपनी नैतिक और वित्तीय सहायता प्रदान करे।

उपर्युक्त लक्ष्य को प्राप्त करने में राष्ट्र की सहायतार्थ, अधोहस्ताक्षरी, दिल्ली विश्वविद्यालय परिवार की ओर से अपील करती है कि पीड़ितों को ऐक्यभाव से सहायता प्रदान करने के क्रम में, विश्वविद्यालय समुदाय कम-से-कम अपना एक दिन का वेतन (मूल वेतन+डी.ए.)/या संलग्न फॉर्म में अपनी इच्छा के अनुसार राशि कुलपति राहत कोष में दान करें।

फॉर्म के अनुसार सहमति पत्र कर्मचारी के संबंधित अधिकारी को जमा किया जाए। विश्वविद्यालय कर्मचारी के मामले में, सहमति पत्र अनुभाग अधिकारी, वित्त शाखा- I/II को (जैसा भी मामला हो) 10 सितम्बर, 2018 तक जमा किया जाए ताकि विश्वविद्यालय द्वारा अगले माह के उनके वेतन से राशि की कटौती की जा सके।

आगे यह भी सूचित किया जाता है कि आयकर अधिनियम-1961 (1961 के 43) के खंड 80 जी (II)(ए) (III-एफ) के संबंध में, व्यक्ति जो उपर्युक्त प्रयोजन के लिए दान कर रहा है, उनकी कुल कर योग्य आय की गणना में, इस विश्वविद्यालय में किए गए दान का 100 प्रतिशत कटौती का दावा करने के हकदार होगा। दिल्ली विश्वविद्यालय को अंशदान दान/के स्वरूप कुलपति आपदा राहत कोष में किए गए दान को भी आयकर अधिनियम 1961 (1961 के 43) के खंड 80-जी (II)(ए) (III-एफ) के अधीन 100 प्रतिशत तक की सीमा तक छूट दी जाती है।

यह भी अनुरोध किया जाता है कि व्यक्ति विशेष के कुल कर योग्य आय की गणना करते समय राहत कोष में दिल्ली विश्वविद्यालय को अंशदान के स्वरूप किया गया दान कर्मचारी के फॉर्म-16 में गिना जाएगा।

जहां तक महाविद्यालयों का संबंध है शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक स्टाफ के उनके वेतन में से कटौती की जाएगी या आनलाईन स्थानांतरित किया जा सकता है सहायक कुलसचिव, वित्त- I, दिल्ली विश्वविद्यालय को सूचित करते हुए खाता संख्या 1085129846 एस.बी.आई., दिल्ली विश्वविद्यालय ब्रॉच आई. एफ.सी.: एस.बी.आई.एन. 0001067 जो कि इस प्रयोजन के लिए बनाया गया है का उल्लेख करते हुए कुलसचिव, दिल्ली विश्वविद्यालय के पक्ष में भेजा जाए।

भवदीय,

नरेश दत्त
कुलसचिव

संलग्न: यथोपरि

21/8/2018

एक दिन का वेतन या इच्छानुसार दान

कुलसचिव
दिल्ली विश्वविद्यालय,
दिल्ली

महोदय,

मैं प्राकृतिक आपदा जिसने केरल में मानव जीवन और संपत्ति को अथाह नुकसान पहुंचाया है के पीड़ितों के प्रति अपना एक दिन का वेतन (मूल वेतन+डी. ए.) कुलपति राहत कोष, दिल्ली विश्वविद्यालय में दान करना चाहता/चाहती हूँ। मैं आपको मेरे सितम्बर-2018 माह के वेतन में से ₹...../ अथवा एक दिन वेतन (मूल वेतन+डी. ए.) की कटौती करने के लिए प्राधिकृत करता/करती हूँ।

भवदीय, /भवदीया

कर्मचारी के हस्ताक्षर

नाम-----

पदनाम-----

विभाग/संकाय -----

दिल्ली,.....2018

Enclose:-1

Donation of one day salary or an amount of choice

The Registrar
University of Delhi
Delhi

Sir,

I wish to donate an amount of ₹ _____ or my one day's salary (Basic Pay+ DA) to the Vice Chancellor Relief Fund, University of Delhi towards the victims of natural disaster which has caused extensive damage to the human lives and property in Kerala. I hereby authorize you to deduct my one day salary (Basic Pay+ DA) or an amount of ₹ -----from my salary payable for the month of September, 2018

Yours faithfully,

Signature of the employee
Name -----
Designation -----
Deptt./Faculty -----

Delhi, the-----,2018